न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 9.7..2020

मि.न 108/2020

सरकार बनाम रामेश्वर
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपरिथत ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खड़व ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के पिचाणी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 140/0.98 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.01 है0 भूमि पर रामेश्वर पुत्र सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी शुक्लाबास ने पुख्ता निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल उपरिथत नहीं आया । जवाव पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । अतः गैर सायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , पत्रावली में सलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि वाके ग्राम पिचाणी के खसरा नंबर 140/0.98है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.01है भूमि पर गैर सायल का अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की रिथति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल रामेश्वर पुत्र सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम पिचाणी तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 140/0.98है0 किस्म जमीन गै0मु0 पहाड़ में से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.40रू. का पचास गुणा 20 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को लिखा जावे निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9.7..2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner